भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 526

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

व्हाइट लेबल एटीएम

526. श्री मोहनभाई कुंडारिया:
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) का ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) व्हाइट लेबल एटीएम लगाने के लिए संस्थाओं को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए जिला और राज्य-वार कितनी संस्थाओं को अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या डब्ल्यूएलए के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समाधान के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि टीयर III से VI तक के केंद्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए देश में एटीएम की पहुंच बढ़ाने के लिए गैर-बैंकिंग कंपनियों को वर्ष 2012 में देश में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने, उनका स्वामित्व रखने और उन्हें परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। एटीएम स्थापित करने, उसका स्वामित्व रखने वाले और उसका परिचालन करने वाले ऐसे गैर-बैंकिंग संस्थानों को "व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर" (डब्ल्यूएलएओ) कहा जाता है और ऐसे एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) कहलाते हैं। वे भारत में बैंकों के ग्राहकों को बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्डों (डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड) के आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डब्ल्यूएलएओ) की भूमिका मौजूदा प्राधिकृत सहभागी एटीएम नेटवर्क ऑपरेटरों / कार्ड पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ तकनीकी संपर्क स्थापित करके सभी बैंकों के ग्राहकों के लेन-देन के अभिग्रहण तक सीमित है। एटीएम/डब्ल्यूएलए नकदी वितरण के अलावा ग्राहकों को अन्य कई सेवाएं/सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. खाते की सूचना
ii. नकदी जमा करना
iii. नियमित बिल भुगतान
iv. मिनी/शॉर्ट विवरण निकालना
v. पिन बदलना
vi. चेक बुक के लिए अनुरोध करना

(ख): डब्ल्यूएलए की पहुंच, व्यवहार्यता और प्रभावी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 30 दिसंबर, 2016 के अपने परिपत्र के माध्यम से नकदी प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का समाधान करने के लिए डब्ल्यूएलएओ को खुदरा केंद्रों से नकदी प्राप्त करने की अनुमति दी है।

ii. डब्ल्यूएलए लगाए जाने को और अधिक प्रोत्साहित करने और अधिक गैर-बैंकिंग संस्थानों को एटीएम कारोबार में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु आरबीआई ने 7 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से डब्ल्यूएलएओ को (i) सीमा से अधिक नकदी थोक में सीधे रिज़र्व बैंक (निर्गम कार्यालय) और मुद्रा तिजोरियों से खरीदने, (ii) सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित किसी भी अनुसूचित बैंक से नकदी प्राप्त करने, (iii) बिल भुगतान और अंतर्परिचालनीय नकदी जमा सेवाएं प्रदान करने, (iv) गैर-वित्तीय उत्पादों/सेवाओं से संबंधित विज्ञापन लगाने की अनुमति देने के साथ-साथ, (v) बैंकों को प्राधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) के साथ साझेदारी के माध्यम से को-ब्राण्डेड एटीएम कार्ड जारी करने और डब्ल्यूएलए को भी 'ऑन-अस' लेन-देन का लाभ देने की अनुमति दी गई थी।

iii. आरबीआई ने 15 अक्तूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से व्हाइट लेबल एटीएम के लिए मांग-आधारित प्राधिकार देना आरंभ किया है।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि वर्तमान में चार प्राधिकृत गैर-बैंकिंग संस्थाएं हैं जो देश में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) का परिचालन कर रही हैं।

(घ): आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्हें पिछले एक वर्ष में प्राधिकृत व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****